भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2083
बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हरित हाइड्रोजन व्यापार में विनियामक असमानता</u>

2083. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच विनियामक असमानताएं हरित हाइड्रोजन व्यापार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं क्योंकि उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र भारतीय निर्यात की लागत बढ़ा सकता है जबकि ऊर्जा बाजार की भिन्न-भिन्न संरचनाएं सीमा-पार व्यापार में बाधा डाल सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): यूरोपीय आयोग ने गैर-जैविक मूल के नवीकरणीय तरल और गैसीय ईंधन (आरएफएनबीओ) के लिए एक मूल्यांकन पद्धति पर डेलिगेटेड एक्ट (अधिनियम) को अपनाया है। इस अधिनियम में उन शर्तों को परिभाषित किया गया है, जिनके तहत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन-आधारित ईंधनों, या अन्य ऊर्जा वाहकों को आरएफएनबीओ के रूप में माना जा सकता है।

ये शर्तें यूरोपीय परिस्थितियों के आधार पर तैयार की गई हैं, इसलिए यूरोप से बाहर के देशों के लिए इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की व्याख्या यूरोपीय आयोग द्वारा अधिकृत प्रमाणन एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अधिसूचित ग्रीन हाइड्रोजन मानक के अनुसार, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में गैर-जैविक कार्बन उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO_2 समतुल्य प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं होना चाहिए।

हाल ही में यूरोपीय आयोग की भारत यात्रा के दौरान, यह स्वीकार किया गया कि दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय माध्यमों से व्यापार और डीकार्बोनाइजेशन पर गहन चर्चा की है और विशेषकर यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा तंत्र (सीबीएएम) के कार्यान्वयन पर हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हैं। दोनों पक्षों ने सीबीएएम के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए, पर चर्चा की और उनका समाधान करते रहने पर सहमति व्यक्त की।

एमएनआरई ने भी यूरोपीय प्रमाणन एजेंसियों के साथ व्यापक चर्चा की है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव को यूरोपीय बाजार में निर्यात करने का लक्ष्य रखने वाली भारतीय परियोजनाओं के लिए आरएफएनबीओ प्रमाणन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

*****